बिहार सरकार
खान एवं भूतत्व विभाग

E-mail/Fax

पत्रांक–प्र0–I-(DMF)04/18- /एम0, पटना, दिनांक–

प्रेषक,

अंशुली आर्या, भा0प्र0से0,
प्रधान सचिव ।

सेवा में,

समाहर्त्ता,
औरंगाबाद / बांका / बेगुसराय / पश्चिमी चम्पारण / गोपालगंज / कटिहार / खगड़िया / किशनगंज / मधुबनी / सहरसा / वैशाली ।

विषयः– **जिला स्तर पर गठित जिला खनिज फाउन्डेशन (DMF)/Separate Corpus Fund में प्राप्त राशि को संधारित करने हेतु खोले गये / खोले जाने वाले बैंक खाता से संबंधित सूचना उपलब्ध कराये जाने के संबंध में ।**

प्रसंगः– विभागीय अधिसूचना सं0 2197 दिनांक 23.05.18, विभागीय पत्रांक 3027 दिनांक 23.07.18 स्मार पत्रांक 3408 दिनांक 21.08.18 एवं पत्रांक 3846 दिनांक 28.09.18 ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्रों के आलोक में कहना है कि जिला स्तर पर गठित जिला खनिज फाउन्डेशन (DMF) हेतु प्राप्त राशि को एक पृथक बैंक खाता खोलकर संधारित किये जाने का निदेश पूर्व में संसूचित है तथापि अभी तक आपके जिला से बैंक खाता खोले जाने एवं प्राप्त राशि की सूचना विभाग को अप्राप्त है ।

विदित हो कि उक्त राशि से प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के तहत् योजनाओं का कार्यान्वयन होना है । आपके द्वारा बैंक खाता खोले जाने एवं प्राप्त राशि की सूचना अप्राप्त रहने के कारण इस योजना का कार्यान्वयन आपके जिला में अवरूद्ध है ।

उपर्युक्त के आलोक में पुनः स्मारित करते हुए कहना है कि डी0एम0एफ0 में प्राप्त राशि को खोले गये बैंक खाता एवं उक्त खाता में जमा की गयी राशि की अद्यतन सूचना अविलम्ब विभाग को उपलब्ध करायी जाय । साथ ही जो राशि Separate Corpus Fund में जमा है उसे भी DMF बैंक खाता में जमा कराना सुनिश्चित करें ।

विश्वासभाजन,
ह0 / –
(अंशुली आर्या)
प्रधान सचिव ।

E-mail/
Whats-app

ज्ञापांक– प्र0–I-(DMF)04/18- /एम0, पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः– संबंधित उप निदेशक / संबंधित सहायक निदेशक / संबंधित खनिज विकास पदाधिकारी / संबंधित खान निरीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

ह0 / –
उप निदेशक ।

ज्ञापांक– प्र0–I-(DMF)04/18- 3949 /एम0, पटना, दिनांक– 9/10/18

प्रतिलिपिः– I.T. Manager, खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित ।

9/10/18
उप निदेशक ।